भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 655
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

नई स्वर्णिम ऋण योजना

655. श्री जयंत सिन्हा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की नई स्वर्णिम ऋण योजना का ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और झारखंड में जिला-वार कुल संख्या कितनी है; और
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की नई स्वर्णिम ऋण स्कीम का ब्यौरा एवं इसकी मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-'क'** में दी गई हैं।

(ख): इस स्कीम के अंतर्गत गत 5 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित राज्यों/संघ राज्यों-वार सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-'ख'** में दिया गया है।

एनबीसीएफडीसी द्वारा जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): नई स्वर्णिम स्कीम सहित अन्य ऋण स्कीमों के अंतर्गत दिनांक 25.01.2024 तक आबंटित/वितरित तथा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

अनुबंध-'क'

एनबीसीएफडीसी की नई स्वर्णिम ऋण स्कीम का ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं

''महिलाओं के लिए नई-स्वर्णिम स्कीम''

उद्देश्य:

सावधि ऋण स्कीम के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्म-निर्भरता की भावना का संचार करना।

पात्रता

- इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाएं ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

मुख्य विशेषताएं

- एनबीसीएफडीसी की ''नई-स्वर्णिम'' स्कीम का लक्षित समूह पिछड़े वर्ग की वे महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम है।
- लाभार्थी महिलाओं को 2,00,000 रुपए तक की लागत की परियोजनाओं के लिए अपनी तरफ से किसी राशि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस स्कीम के लिए ऋण राशि पर ब्याज की दर निगम की सामान्य ऋण स्कीम की तुलना में कम है।

अधिकतम ऋण राशि : 2.00 लाख रुपए (प्रति लाभार्थी)

वित्तपोषण की पद्धति

1. एनबीसीएफडीसी ऋण	:	95%
2. चैनल पार्टनर का योगदान	:	05%

ब्याज की दर

1. एनबीसीएफडीसी से चैनल पार्टनर	:	2% प्रति वर्ष
2. चैनल पार्टनर से लाभार्थी	:	5% प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान

ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किश्तों में अधिकतम 8 वर्षों की अवधि में किया जाता है (जिसमें मूलधन की वसूली पर 6 महीने की ऋणाधिस्थगन अवधि शामिल है)।

गत 5 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नई स्वर्णिम स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य-वार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य के नाम	2018-19 (संख्या)	2019-20 (संख्या)	2020-21 (संख्या)	2021-22 (संख्या)	2022-23 (संख्या)	2023-24 (दिनांक 25.01.2024 की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश		39	15	-	-	-
2.	अंडमान और निकोबार		1				
3.	असम		9	61	-	-	-
4.	बिहार		46	1	-	-	-
5.	चंडीगढ़			-	-	-	-
6.	छत्तीसगढ	14	21	20	-	-	-
7.	दिल्ली			34	5	-	-
8.	गोवा			50	-	25	-
9.	गुजरात	239	116	230	280	180	
10.	हरियाणा	400	21	-	100	-	-
11.	हिमाचल प्रदेश	9	8	8	50	250	4
12.	जम्मू-कश्मीर	48	200	160	275	100	9
13.	झारखंड		12	1	-	-	-
14.	कर्नाटक		226	72	-	-	
15.	केरल	880	749	2020	5420	3940	6
16.	मध्य प्रदेश	128	218	37	-	-	-
17.	महाराष्ट्र		43	6	-	-	
18.	मणिपुर		1	1	-	-	-
19.	ओडिशा		34	1	-	-	
20.	पंजाब	320	348	541	1434	678	316
21.	पुदुचेरी		6				-
22.	राजस्थान	222	937	553	-	-	
23.	तमिलनाडु	433	733	2040	-	-	876
24.	तेलंगाना		12	7	-	-	-
25.	त्रिपुरा	385					
26.	उत्तर प्रदेश	528	147	335	200	400	-
27.	उत्तराखंड	10	7				-
28.	पश्चिम बंगाल		4				
	कुल	**3616**	**3938**	**6193**	**7764**	**5573**	**1211**

दिनांक 25.01.2024 तक नई स्वर्णिम स्कीम सहित ऋण स्कीमों के अंतर्गत आवंटित/संवितरित तथा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य/पीएसबी के नाम	संचयी (दिनांक 25.01.2024 तक)	
I	राज्य	आवंटित/संवितरित निधियां (रुपए/करोड़)	उपयोग में लाई गई निधियां (रुपए/करोड़)
1	आंध्र प्रदेश	268.12	253.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	77.79	77.29
4	बिहार	59.13	59.13
5	छत्तीसगढ़	73.00	73.00
6	गोवा	28.63	27.75
7	गुजरात	315.82	315.60
8	हरियाणा	145.11	142.72
9	हिमाचल प्रदेश	105.79	104.08
10	झारखंड	23.92	22.72
11	कर्नाटक	488.61	488.42
12	केरल	2256.76	2236.63
13	मध्य प्रदेश	205.22	205.22
14	महाराष्ट्र	258.27	257.62
15	मणिपुर	26.81	26.81
16	मेघालय	0.05	0.05
17	मिजोरम	0.02	0.02
18	नागालैंड	0.08	0.08
19	ओडिशा	19.65	19.65
20	पंजाब	205.16	199.09
21	राजस्थान	147.84	142.84
22	सिक्किम	32.59	31.49
23	तमिलनाडु	1212.22	1206.19
24	तेलंगाना	29.88	29.88
25	त्रिपुरा	196.48	190.44
26	उत्तर प्रदेश	465.78	460.27
27	उतराखंड	9.88	9.88
28	पश्चिम बंगाल	110.26	110.26
	उप-कुल राज्य (1 से 28)	**6762.91**	**6690.16**
II.	संघ राज्य		
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.05
30	चंडीगढ़	1.38	1.33
31	दादर और नगर हवेली	0.05	0.05
32	दमन और दीव	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.07	6.07
34	जम्मू-कश्मीर	51.66	48.97
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	79.97	79.97
	उप-कुल (29 से 36)	**139.16**	**136.42**
	कुल (I से II)	**6902.07**	**6826.58**